अपील सूचना अधिकार संख्या 11/2021 (GCMS 2021/22) चन्द्र कुमार सोनी निवासी एल–5 मॉडल टाउन, सूरतगढ रोड़, श्रीगंगानगर – 335001. बनाम प्रभारी अधिकारी, पंजीयन एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.03.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी चन्द्र कुमार स्वयं उपस्थित हुआ और उसने कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कलक्टर से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 27.10.2020 के द्वारा राजस्थान मनी लैंडर्स एक्ट 1963 के संबंध में सूचनांए मांगी थी, लेकिन उन्होनें सूचनाएं देने से इंकार कर दिया। जबकि उसने ना तो तीसरे पक्ष से जुड़ी सूचनाएं मांगी थी और ना ही सूचनाएं बनाकर देने को कहा था और उसने अपने आवेदन से किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं किया था और ना ही मैने किसी से कोई विचार मांगा था फिर भी लोक सूचना अधिकारी ने उसे सूचनाएं नहीं दी। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से सूचनाएं दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी चन्द्र कुमार सोनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.10.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

1. राजस्थान मनी लैंडर्स एक्ट 1963 के तहत पूरे गंगानगर जिले मे ब्याज पर रकम देने के इच्छुक लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए अधिकृत विभागों व अधिकारियों की जानकारी
2. राजस्थान मनी लैंडर्स एक्ट 1963 के तहत पूरे गंगानगर जिले में ब्याज पर रूपये देने हेतु रजिस्टर्ड सभी व्यक्तियों के नाम, पता व फोन नम्बर की प्रमाणित सूची।
3. उपरोक्त वर्णित एक्ट के तहत दरों व समय अवधि (दोनों की) अधिकतम व न्यूनतम तय सीमा की जानकारी

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

4. उपरोक्त वर्णित एक्ट के तहत रहन/गिरवी रखे जाने हेतु मान्य/तय की गई वस्तुओं, सम्पत्तियों की जानकारी।
5. उपरोक्त वर्णित एक्ट के तहत ब्याज की गणना हेतु तय की गई विधि (सामान्य वृद्धि, चक्रवृद्धि अथवा अन्य विधि) की जानकारी।
6. उपरोक्त वर्णित एक्ट के तहत ब्याज पर देने हेतु रकम की, रूपयों की न्यूनतम व अधिकतम सीमा की जानकारी व नियमों के उल्लंघन पर तय कानूनी कार्यवाही व आईपीसी की धाराओं की जानकारी।

प्रभारी अधिकारी, पंजीयन एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक पंजीयन/2020/1489 दिनांक 03.12.2020 से प्रार्थी को निम्न प्रकार से जवाब प्रेषित किया है :

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना निम्नानुसार है:

क्र. सं.	चाही गई सूचना	दिये जाने वाला उत्तर
1	राजस्थान मनी लैंडर्स एक्ट 1963 के तहत पूरे गंगानगर जिले मे ब्याज पर रकम देने के इच्छुक लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए अधिकृत विभागों व अधिकारियों की जानकारी।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना चाही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए। एवं सूचना के
2	राजस्थान मनी लैंडर्स एक्ट 1963 के तहत पूरे गंगानगर जिले में ब्याज पर रूपये देने हेतु रजिस्टर्ड सभी व्यक्तियों के नाम, पता व फोन नम्बर की प्रमाणित सूची।	
3	उपरोक्त वर्णित एक्ट के तहत दरों व समय अवधि (दोनों की) अधिकतम व न्यूनतम तय सीमा की जानकारी।	

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4	उपरोक्त वर्णित एक्ट के तहत रहन/गिरवी रखे जाने हेतु मान्य/तय की गई वस्तुओं, सम्पत्तियों की जानकारी।	रूप में प्रत्यर्थी न हो तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप मे प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है।
5	उपरोक्त वर्णित एक्ट के तहत ब्याज की गणना हेतु तय की गई विधि (सामान्य वृद्धि, चक्रवृद्धि अथवा अन्य विधि) की जानकारी।	
6	उपरोक्त वर्णित एक्ट के तहत ब्याज पर देने हेतु रकम की, रूपयों की न्यूनतम व अधिकतम सीमा की जानकारी व नियमों के उल्लंघन पर तय कानूनी कार्यवाही व आईपीसी की धाराओं की जानकारी।	

प्रभारी अधिकारी पंजीयन
एवं अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक 10 जुलाई 2008 अवलोकनीय है जिसमें निम्न प्रकार से अंकित किया गया है :

सूचना और सूचना का अधिकार की परिभाषा का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि नागरिक को सामग्री प्राप्त करने, सामग्री का निरीक्षण करने, सामग्री से नोट लेने, सामग्री का उद्धरण अथवा प्रमाणित प्रतियां लेने, सामग्री के नमूने लेने, डिस्केट इत्यादि के रूप में सामग्री लेने का अधिकार है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को ऐसी सामग्री भेजे जिसके लिए उसने अनुरोध किया हो। अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी से ये

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपेक्षित नही है कि वह सामग्री से कोई निष्कर्ष निकाले और इस प्रकार निकाले निष्कर्ष को आवेदक को भेजे। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध हो। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं हैं।

चूंकि उक्त परिपत्र से यह अपेक्षित है कि लोक सूचना अधिकारी उसी रूप में सामग्री प्रदान करे जिस रूप में लोक प्रधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को प्रद्रान करना लोक सूचना का अधिकारी का काम नहीं है। इस दृष्टिकोण से अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 03.12.2020 से जो उत्तर दिया गया है वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फिरभी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओ को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण को रिमाण्ड करना उचित समझते है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वो उनके कार्यालय में राजस्थान मनी लैण्डर्स एक्ट 1963 के तहत उपलब्ध अभिलेख का प्रार्थी को निरीक्षण करवा देवें और उसमें से किसी निश्चित अभिलेख की प्रार्थी कोई सूचना चाहे तो वह उसे इस आदेश की प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर